

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09122025-268355
SG-DL-E-09122025-268355असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 358
No. 371]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947	[N. C. T. D. No. 358

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

फा.सं. 6 / 27 / 2025—न्यायिक / अधीनविधि / 2146-2152.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त/पदोन्नत करते हैं:—

1. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 7(1) (क) के अंतर्गत दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित आधार पर तथा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में उन्हें परीक्षा पर रखने के लिए पदोन्नति/नियुक्ति हेतु :—

1. सुश्री विधि गुप्ता आनंद

- (2) दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को 16 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु दिनांक 26.09.2020 के पत्र के माध्यम से अस्थायी या संविदा आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों में परिणामी रिक्ति के निमित्त दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तदर्थ आधार पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु :—

1. सुश्री श्रिया अग्रवाल

तदर्थ आधार पर पदोन्नति से उपरोक्त अधिकारियों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के कैडर में आमेलन या वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और ऐसे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के बंद होने की स्थिति में, उक्त अधिकारी दिल्ली न्यायिक सेवा के अपने मूल कैडर में वापस लौट जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd December, 2025

F. No. 6/27/2025-Judl./Suptlaw/2146-2152.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint/promote the following officers:-

1. Promote/appoint the following officer of Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service under Rule 7(1) (a) of Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 on regular basis with effect from the date she assumes charge of her office and to place her on probation in the Delhi Higher Judicial Service as per the provisions of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970:-

1. Ms. Vidhi Gupta Anand

2. Appoint/promote on *ad hoc* basis the following officer of Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service against resultant consequential vacancy in Fast Track Special Courts sanctioned by the Govt. of NCT of Delhi on temporary/contractual basis vide letter dated 26.09.2020 for setting up of 16 Fast Track Special Courts, from the date she assumes charge of her office.

1. Ms. Shriya Agrawal

The promotion on *ad hoc* basis shall not confer any right of absorption or seniority on the aforesaid officers in the cadre of Delhi Higher Judicial Service and in case of discontinuation of such Fast-Track Special Courts, the above named officer shall revert back to her substantive Cadre of Delhi Judicial Service.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
REETESH SINGH, Principal Secy.